

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी।

कम्प्यूटर संख्या—

राज्य

बनाम

रियाज आदि

आदेश

अभियुक्त मोहरम की ओर से जमानत प्रार्थना—पत्र मु०अ०सं० 2910/12 धारा 308,323,504 भा०दं०सं० थाना कोतवाली सदर जिला खीरी में प्रस्तुत किया गया।

सुना अवलोकन किया।

अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पर लगाया आरोप अजमानतीय, गम्भीर एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है।

सी०जे०एम०

खीरी।

24-1-2019